न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (म.प्र.)

निग.प्र. क्र.– ॻ/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2018/0327 सन्–2018

श्रीमती बेटीबाई पत्नि हरीराम कुशवाहा आयु 47 वर्ष

निवासी–ग्राम–बगौता

तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.) ---------- आवेदिका/निगरानीकर्ता

बनाम

1. नईम खां तनय उम्मेद खां
2. शम्मी तनय उम्मेद खां
3. बसीम तनय उम्मेद खां
4. नाजरा पुत्री उम्मेद खां

समस्त निवासीगण–ताज कॉलोनी, छतरपुर (म.प्र.)

5. शासन म.प्र. ------- अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्ता

दि० 11-1-18 को ... प्रारंभिक तर्क हेतु ... 7.2.18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता–1959 निगरानी विरूद्व आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय छतरपुर जिला छतरपुर (म.प्र.) के प्रकरण क्र. –20/स्वप्रेरणा निगरानी/2014–15 म.प्र. शासन बनाम उम्मेद खां वगैरह में पारित आदेश दिनांक 12.12.2017 से दुखी होकर।

महोदय,

आवेदिका/निगरानकर्ता सादर निम्नानुसार निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है :–

1. यह कि भूमि खसरा नम्बर 1509 रकवा 2.298 हे0 लगानी 8 रूपया 25 पैसा स्थित ग्राम पठापुर पटवारी हल्का नम्बर–41 राजस्व निरीक्षक मण्डल छतरपुर तहीलस व जिला छतरपुर (म.प्र.) की भूमि आवेदिका के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है। जो वर्ष 1995 में आवेदिका ने पूर्व भूमि स्वामी विक्रेता उम्मेद खां तनय श्री करामत खां निवासी छतरपुर से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से मुव. 50,000/– रूपया में खरीदी थी। उक्त दिनांक से ही आवेदिका का उक्त भूमि पर कब्जा है और राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी हक पर दर्ज है, इसी भूमि पर आवेदिका का रिहायसी मकान बना हुआ है और उसने कुआं का निर्माण भी किया हुआ है।

XXIX(a)-BR(H)-11

छटांवाई / नरम

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 327 /II/18 जिला - छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-3-18	आवेदक अधिवक्ता पूर्ववत् उपस्थित। अनावेदक सूचित हों। रिकॉर्ड की मांग करें। c.f. 25-5-18 प्रशा. सदस्य	
2-5-18	आवेदक अभि. श्री सुनील आर्डेन द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन पत्र आज लिया जाना। आवेदक अभि. द्वारा प्रकरण को नोट प्रेस में समाप्त करने का निवेदन किया जाता। अनाo क्र 5 शासन की ओर से श्री अजय चतुर्वेदी शास० अभि० उप०। आवेदक अभि० के निवेदन पर प्रकरण नोट प्रेस में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। प्र० सदस्य	नोट प्रेस 2/5/18